मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,झांसी

पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार,H.J.S.

M.A.C.P.No-213/2021

श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अखिलेश,आयु-38 वर्ष,निवासी-मोहल्ला गांधीगंज,मउरानीपुर,जिला-झांसी

--------------- याची

बनाम

बृजेन्द्र सिंह कछवाह पुत्र श्री उत्तम सिंह,निवासी-अक्सेव,थाना-लहचूरा,तहसील-मउरानीपुर,जिला-झांसी (कब्जाधारी स्वामी एवं चालक मोटर साइकिल संख्या-HR51R8875)

-------------विपक्षी

याची के अधिवक्ता-**श्री नरेन्द्रपाल सिंह**

विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता-**श्री एन.एन.नगाइच**

दिनांकः29.07.2021

आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई।याची श्रीमती सुनीता एवं विपक्षी बृजेन्द्र सिंह मय अधिवक्ता उपस्थित है।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याची एवं विपक्षी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.30,000/- के लिए राजीनामा हो गया है। याची ने याचिका में मांगी शेष राशि छोड दी है तथा उक्त धनराशि विपक्षी से नकद प्राप्त कर ली है। याची अब उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याची के हस्ताक्षर की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रपाल सिंह के द्वारा तथा विपक्षी की शिनाख्त श्री एन.एन. नगाइच द्वारा की गयी है,उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याची एवं विपक्षी के मध्य राजीनामा हो गया है।अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याची एवं विपक्षी की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची **श्रीमती सुनीता** एवं विपक्षी बृजेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**30,000/-** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 15:55:00 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI